



GINNI DEVI MODI GIRLS' P.G.COLLEGE

MODINAGAR -201204 (U.P.)

Affiliated to Ch. Charan Singh University, Meerut
NAAC ACCREDITATION GRADE 'B'

Website: www.gdmcollege.org

E-mail: principal@gdmcollege.org

Phones : 01232-243794, 242812 Fax:01232 221811

Ref No. : GDM/MNR.....

Date

सूचना


महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी संस्थागत छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्रता के आधार पर अर्ह छात्राएं ऑनलाइन <https://mkxy.up.gov.in> पर आवेदन कर विद्यालय में 29 नवम्बर 2021 तक जमा करवा दें।

पात्रता की अहर्ताएं –

- 1- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/बिजली/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
- 2- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो।
- 3- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- 4- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
- 5- किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
- 6- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।

आवेदन के साथ सलंग्न पत्र—

- आधार कार्ड (Aadhaar Card) छाया प्रति।/ बिजली के बिल की छाया प्रति।/ टेलीफोन के बिल की छाया प्रति।
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
- बालिका का नवीनतम फोटो।
- आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो मोबाइल नंबर छाया प्रति।
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) छाया प्रति।
- बैंक अकाउंट विवरण छाया प्रति।
- यदि बेटा गोद ली है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र छाया प्रति।
- अभिभावक पहचान पत्र (Parents ID Card) छाया प्रति।
- निवास पता प्रूफ (Address Proof) छाया प्रति।


प्रो० वन्दना शर्मा
प्राचार्या